

Sl No. 239

MOST IMMEDIATE
RTI MATTER

File No.A.42012/81/2013-Ad.II
Government of India / Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs / Grih Mantralaya

New Delhi the 3rd December, 2013

To
Ms. Rubi Sharma
D/o Shri Ashok Kumar Sharma
R/o Rasulpur Rohta
Tehsil & District Meerut
UTTAR PRADESH

Subject:- Information sought by Ms. Rubi Sharma, D/o Shri Ashok Kumar Sharma R/o Rasulpur Rohta, Tehsil & District Meerut, UP under Right to Information Act, 2005 – reg.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 27-09-2013-2013 received in this Division on 08-11-2013 vide RTI Section's OM No.A-43020/01/2013-ETI dated 29-10-2013 seeking information and detailed reply with regard to a Public Notice reported to have been displayed on a Plot in Meerut (UP) by one Shri Naresh Chand Sharma, S/o Shri Surajpal Sharma, a person alleged to be an MHA Official. It may be stated that Ad.II Section is dealing with the Non-Gazetted Officials of MHA (Group C & Group B) only and no such official is working under the administrative control of Ad.II Section. As such, the information sought under the RTI Act, 2005 in this regard may please be treated as NIL.

2. However, some information may be available with other Divisions also. Therefore, your application is also forwarded to CPIOs of MHA for providing information, if available with them, to you.

3. The appellate authority in respect of this matter under the RTI Act is Shri Satpal Chauhan, Joint Secretary (Admn./C&PG), Ministry of Home Affairs, Room No.194, North Block, New Delhi-110001. (Tel.No.23093178), and the appeal, if any, can be made within 30 days of the issue of this reply.

Yours faithfully,

[V.K. RAJAN]

Deputy Secretary (E) & CPIO

Tel.No.2309 4376

Sl not to send to us/1812

Done 9/12/13
6/12

Copy to:-

1. All CPIOs in Divisions of MHA [except Admn. Division, Dir (Pers)/DS (Pers.)] – with enclosures.
2. RTI Cell – with reference to their OM cited above.

RTI-239/Dir (E-2)/13
09/12/13

[V.K. RAJAN]

Deputy Secretary (E) & CPIO

44012/81/2013-F.J.D

Sl. No. 1 (R)

आर टी आई आर/संख्या

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

RECEIVED
667-H
11/11/2013

नई दिल्ली, दिनांक 29/10/2013

कार्यालय आपन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुश्री श्री शोभा का आवेदन।

अध्याहस्तकारी का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना नुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुश्री श्री शोभा के दिनांक 23/9/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 01/10/2013 को प्राप्त) को प्रशासन विभाग को अर्पित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त विभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अर्पित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 7/10/2013 की रसीद सं 21090 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह के पी. एल. केमी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सा. प्र. (सं. सं. सं.)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- (1) निदेशक (कार्यालय) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - (2) उपसचिव (कार्यालय) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - (3) अनुभाग प्रमुख (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
 - (4) अनुभाग प्रमुख (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- प्रति सूचनार्थ प्रेषित : (5) अनुभाग प्रमुख (प्रशासन) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
- श्री/श्रीमती/शुश्री श्री शोभा, (पुत्री) श्री उद्योक्त कुमार
- ग्राम - शुशुलपुर रोडरा, तहसील ... जिला - मरठ
- मरठ - उत्तर प्रदेश
- दालपता - ..., जिला ..., पिनकोड ...

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

08/11/13

01 OCT 2013
1684/SL
भारत सरकार
नई दिल्ली

श्री गृह मंत्रालय, भारत सरकार

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय:- जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने

हेतु :-

11. पृष्ठ:- क्या आपके मंत्रालय द्वारा ग्राम रसूलपुर रोहता तहसील जिला मेरठ में स्थित भूमि खतरा संख्या- 45, खतरा संख्या- 5543, व 5566, व खतरा संख्या- 557 व, 5546 क्या विदाईदत जमीन है, और मुकदमा कोर्ट में विद्यमान है, के सम्बन्ध में एक जन साधारण सूचना आपके विभाग में कार्यरत भारतीय निरिक्षक अधिकारी नरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. सूरजबल शर्मा के माध्यम से प्रकाशित कराई है, जिसमें नरेश चन्द्र शर्मा ने इस सूचना को प्रकाशित कर यह भ्रान्ति पैदा की है कि जैसे गृह मन्त्रालय भारत सरकार के आदेश से यह सूचना प्रकाशित की गयी है। इसका विस्तार पूर्वक उत्तर दिया जावे।

12. यदि आपके मन्त्रालय द्वारा नरेश चन्द्र शर्मा को इस जन सूचना को प्रकाशित करने के लिये अधिकृत नहीं किया तो उन्होंने गृह मन्त्रालय भारत सरकार, आज्ञा से, सूचना प्रकाशित कर अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रान्ति जन साधारण के लिये क्यों उत्पन्न की है, के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा से स्पष्टीकरण लिया जावे, तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे। जिसके सम्बन्ध में जवाब द्वारा पृथकी को सूचित किया जावे।

Rudraj Sharma

Handwritten notes in the left margin:
A-1-D
Dinakar
DS (P)

उक्त यह कि नरेश चन्द्र शर्मा से वह दस्तावेजी साक्ष्य मांगे जावे कि उपरोक्त
वर्णित जमीन कैसे विवादित है । और कि न्यायालय में मूकदमा
विचाराधीन है । यदि वह आपको उपलब्ध नहीं कराते तो निध्या
तथ्यों गृह मन्त्रालय भारत सरकार के नाम का सहारा लेकर यह जन
सूचना प्रकाशित की , के सम्बन्ध में नरेश चन्द्र शर्मा का स्पष्टीकरण
लिया जावे , तथा जो भी कार्यवाही नरेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध की
जावे । की सूचना आविर्तित्वा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त
प्रार्थीन को उत्तर प्रेषित करते हुये उपलब्ध करायी जावे ।

दिनांक:- 27-09-2013

प्रार्थनी

Ruby Sharma

संलग्नक:-

रुबी शर्मा पुत्री श्री अशोक कुमार शर्मा

=====

नि. ग्राम रसूलपुर रोहता , पर 0 तह 0 व

1- पो 0 ओ 0 अंकन 10/-रु.

जिला मेरठ । हाल पता- 81 जे. तुलसी

सं.- 17 F-841722

कालौनी, गली नं.-2, कंकरखेडा, मेरठ ।

दिनांक :- 27/9/13

2- सूचना जन साक्षरप के प्रकाशन

बोर्ड की फोटो ।

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and analysis of the collected data. It discusses the various statistical and analytical tools used to identify trends and patterns in the data.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and the need for further research. It emphasizes the importance of staying up-to-date on the latest developments in the field and the need for continuous learning and improvement.

Reply of Lt No. 239

RTI MATTER

No.11/20034/20/2013-IS-II(pt.)
Government of India
Ministry of Home Affairs
IS-I Division (IS-II Desk)

North Block, New Delhi
Dated: the 03 January, 2014

To


Ms. Rubi Sharma,
D/o Shri Ashok Kumar Sharma,
R/o Rasulpur Rohta,
Tehsil & Distt. Meerut
UTTAR PRADESH

Subject: Application under Right to Information Act, 2005-reg.

Please refer to your RTI application dated 27.09.2013 received in IS-I Division on 06.12.2013 and to state that no official by the name of Naresh Chand Sharma is working in IS-II Desk of MHA.

2. In case you are not satisfied with the above reply, as per Section 19(1) of Right to Information Act, 2005 you may file an appeal within 30 days from the issue of this letter to the first Appellate Authority whose particulars are given below:

Shri Rakesh Singh,
Joint Secretary (IS-I),
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi.


(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO

Copy to:

1. Shri V.K. Rajan, Deputy Secretary & CPIO, MHA, North Block

2. RTI Cell, MHA, North Block

21. Issue R & I
6/1/2014

